पत्रांक–10/स्थापना व्यय आ0–25/2022–23 112 /आ0रा0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची एवं हजारीबाग।

राँची, दिनांक 06-01-2023

विषय :– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, लघु शीर्ष–201–भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर) उपशीर्ष–01–अधिकतम सीमा का निर्धारण और अतिरिक्त भूमि का अधिकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹17,00,000/– (रूपये सत्रह लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में भू–हदबंदी के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के वेतनादि भुगतान एवं अन्य स्थापना व्यय हेतु कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹17,00,000/– (रूपये सत्रह लाख) मात्र की राशि निम्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है –

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	प्राथमिक इकाई	उपायुक्त कार्यालय को आवंटित राशि		योग (3+4)
		राँची (RNC DAD002)	हजारीबाग (HZB DAD 011)	
1	2	3	4	5
1	वेतन 40S347500201010101	8,00,000	9,00,000	17,00,000

(रूपये सत्रह लाख मात्र)

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन भी दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 245/बजट, दिनांक–30.03.2022 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

PTO

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या 40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2023 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

06/01/2023

(कमल किशोर सोन)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 112/31/ci राँची, दिनांक– 06-01-2023

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची एवं हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/01/2023

सरकार के प्रधान सचिव